

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प.....करवापुरा.....

आदेश

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लोसल व भूअनि लोसल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दांरपुरा प0ह0 लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत्..... में खाता संख्या..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	<u>दांरपुरा</u> प.ह. <u>लोसल</u>	<u>खाता संख्या - 50,</u> <u>160</u>	<u>गौरीराम के पति का</u> <u>नाम - गौधुराम पुत्र</u> <u>गौरीराम</u>	<u>गौधुराम पुत्र</u> <u>रामगोपाल उर्फ</u> <u>गौरीराम पुत्र</u> <u>वसुदेव के आदेश</u> <u>डिग्रे गारे से</u> <u>किसी भी मातापिता</u> <u>का (अपना) आदेश</u> <u>न हो लोदर्क का</u>

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

(राजेश कुमार भीणा)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक:- 11/11/2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 487

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।
राजेश कुमार भीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर